स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' के आश्रितों के संबंध में जानकारी

'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' का तात्पर्य उत्तर–प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और–

(एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो, या
(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो, या
(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरूद्ध हुआ हो, या
(चार) जिसने कम से कम दस बेंतो का दण्ड भोगा हो, या
(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो, या
(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो, या
(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो, या
(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या
(नौ) जो इन्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या
(दस) जिसे गांधी–इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' के 'आश्रित' का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के–

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और
(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) विवाहित अथवा अविवाहित से है।